विकास आयुक्त कार्यालय
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ
ब्लाक–एक, कक्ष क्रमांक– 43 (CIV)
इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ, नया रायपुर

क्रमांक 100 /वि–6/प्रमआयो(ग्रा)/2017 नया रायपुर, दिनांक 9/01/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
सिविल लाईन्स रायपुर
छत्तीसगढ़,

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों में रिक्त प्रशिक्षण समन्वयक/सहायक प्रोग्रामर संविदा पदों के विज्ञापन को छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

––000––

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा जिला पंचायतों हेतु संविदा प्रशिक्षण समन्वयक/सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों की पूर्ति बाबत् शीर्षक "**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रशिक्षण समन्वयक/सहायक प्रोग्रामर संविदा भर्ती**" के नाम से दिनांक 09.01.2017 से दिनांक 31.01.2017 तक दर्शित करने हेतु सॉफ्टकापी संलग्न है।

कृपया विज्ञापन को छत्तीसगढ़ शासन की **www.cgstate.gov.in** वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :– विज्ञापन एवं सी.डी.

9-1-17

(डॉ. सीमा मिश्रा)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

विकास आयुक्त कार्यालय
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ
ब्लाक–एक, कक्ष क्रमांक– 43 (CIV)
इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ, नया रायपुर

//विज्ञापन//

विकास आयुक्त कार्यालय, के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों में रिक्त संविदा प्रशिक्षण समन्वयक/सहायक प्रोग्रामर पदों के लिए आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 31.01.2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर आमंत्रित किये जाते हैं। एक ही पद के लिए **एक से अधिक जिले में आवेदन नही करेगा।** पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	पदनाम	पद की संख्या	संविदा वेतन	योग्यता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	2	3	4	5	6	
1	प्रशिक्षण समन्वयक	27–पद अनारक्षित (प्रत्येक जिले हेतु 01–01 पद)	29400/– (एक मुश्त प्रति माह)	1. एम.बी.ए./समाज सेवा कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (M.A. Social Work)/ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि (PGDRD) 2. कोशल विकास में कम से कम 02 वर्षो का अनुभव	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	50
					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	40
					शासकीय योजनाओं में कौशल विकास पर अतिरिक्त कार्य अनुभव प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक अधिकतम अंक 10	
2	सहायक प्रोग्रामर	27–पद अनारक्षित (प्रत्येक जिले हेतु 01–01 पद)	20342/– (एक मुश्त प्रति माह)	कम्प्यूटर सांईस/आई.टी. विषय में बी ई./बी.टेक एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी)	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
					कौशल परीक्षा में	50
					चयन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम होगा :– 1. कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. विषय में बी.ई/बी.टेक 2. एम.सी.ए./एम.सी.एम/एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/आई. टी.)	

नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से **संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत** के नाम से दिनांक–31.01.2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरुप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2017 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध मे शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
5. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
6. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक–31 दिसबंर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
7. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
11. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
12. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेंगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
15. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
16. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।

17. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
18. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
19. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
20. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट **http://cgstate.gov.in/** से अवलोकन किया जा सकता है।

9-1-17

(डॉ. सीमा मिश्रा)
उपायुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम .....

संबंधित जिला का नाम .....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत – .....

छत्तीसगढ़

अभ्यर्थी
स्व–प्रमाणित
फोटो
चिपकाये

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में : .....

(ब) अंग्रेजी में : .....

2. लिंग (महिला/पुरूष) : .....

3. जन्म तिथि (अ) अंको में : .....

(ब) शब्दों में : .....

(स) दिनांक 01.01.2017 को आयु वर्ष : ..... माह ..... दिन.....

4. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/निःशक्तजन) .....

5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिंदी में) : .....

: .....

6. स्थायी पता (हिंदी में) : .....

: .....

7. मोबाईल नंबर : .....

8. ई–मेल आई डी : .....

9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार :–

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हायर सेकेन्ड्री						
2	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता						
3	अन्य योग्यता						

10. अनुभव का विवरण निम्नानुसार :–

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव तिथि		
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

11. वैवाहिक स्थिति :–

क. विवाहित/अविवाहित : .....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें : .....

विवाह का दिनांक : .....

ग. परिवार के संतान का विवरण :–

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

12. संलग्न प्रणाम पत्रों की सूची।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है, तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक : .....

स्थान : .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर